


03.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी रमेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण, मिश्रीलाल पुत्र पांचाराम, झूमरलाल पुत्र शिवाराम, ताराराम पुत्र मगाराम ने खसरा एकीकरण हेतु आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार जोधपुर प्रकरण में आपत्तिकर्ताओं से सुनवाई करके मौके व रेकर्ड की जांच कर नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही करे। पत्रावली रिमांड की जाती है। तहसीलदार जोधपुर को पत्रावली की छायाप्रति एवं तहरीर जारी हो। तदनुसार पत्रावली निर्णित होकर नंबर से कम हो।

  
सहायक कलेक्टर एवं  
सप्लण्ड अधिकारी  
जोधपुर (दक्षिण)